



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 25 जून, 2024 / 04 आषाढ़, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL

NOTIFICATION

Shimla -171 001, the 25th May, 2024

No.1-10/2016.—Sanction is hereby accorded to the grant of two (02) days earned leave for 30th and 31st May, 2024 in favour of **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** of this department.

Certified that **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** would have continued to officiate, but for his proceeding on 02 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 25th May, 2024

No. 1-35/2023.—Sanction is hereby accorded to the grant of 02 days earned leave for **30th and 31st May, 2024** in favour of **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General**.

Certified that **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for her proceeding on 02 days earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that **Ms. Priyanka Chauhan, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where she proceeds on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 25th May, 2024

No. 1-36/2023.— *Ex-post-facto* sanction is hereby accorded to the grant of three days earned leave *w.e.f.* **22nd to 24th May, 2024** in favour of **Sh. Sumit Sharma, Deputy Advocate General**.

Certified that **Shri Sumit Sharma, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 03 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Sumit Sharma, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH),
Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL

OFFICE ORDER

Shimla-171 001, the 11th June, 2024

No. 1-8-99-II.—*Ex-post-facto* sanction is hereby accorded to the grant of 04 (08) days medical leave on commuted basis *w.e.f.* **04th to 07th June, 2024** with permission to avail suffix *i.e.* Second Saturday and Sunday which fell on 08th and 09th June, 2024 in favour of **Shri Hari Prakash, Private Secretary** of this department.

Certified that **Shri Hari Prakash, Private Secretary** would have continued to officiate, but for his proceeding on four (08) days medical leave on commuted basis and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that **Shri Hari Prakash, Private Secretary** is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH)
Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2024

संख्या : पी0एस0डी0 —बी/1/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ओवरसीयर ऑफसैट, ग्रुप-बी (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, ओवरसीयर ऑफसैट ग्रुप —बी (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां।	(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: मुद्रण (बी) 2-5 /99, तारीख 27-07-2010 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 28-07-2010 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ओवरसीयर ऑफसैट वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में ओवरसीयर ऑफसैट (अराजपत्रित) ग्रुप-बी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम:	ओवरसीयर ऑफसैट
2.	पदों की संख्या:	01(एक)
3.	वर्गीकरण:	ग्रुप —बी (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4.	वेतनमान:	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे-बैण्ड :— हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल (समयमान) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स लेवल (स्तर)—11. (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद:	अचयन

6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष तक : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं :	(क) अनिवार्य अहर्ताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से दस जमा दो उत्तीर्ण की हो: परन्तु यह और कि अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो: परन्तु यह शर्त हिमाचल के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी। (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सहबद्ध रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ऑफसैट मुद्रण प्रौद्योगिकी के ट्रेड में डिप्लोमा । (iii) सरकारी प्रौद्योगिकी की ऑफसैट प्रिंटिंग प्रैस मान्यता प्राप्त प्राइवेट ऑफसैट प्रिंटिंग प्रैस से पर्यवेक्षक की हैसियत से तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।

		(iv) उन अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जो केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आफसैट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में उपाधि रखते हों। (ख) वांछनीय अर्हताएं: हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हता(एं) प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	(क) सीधी भर्ती/प्रोन्नति दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश किया जाए। (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में परिवीक्षा नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	ऑफसैट ऑपरेटरों/कैमरा ऑपरेटरों/लिथो आर्टिस्टों/फोटोटाईप सैटर ऑपरेटर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पाँच (05) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 05 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। “प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनकी सेवा की अवधि के आधार पर उनके संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता सूची को छोड़े बिना संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी। (i) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: (ii) परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल, तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित

		सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी : परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे । स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुआ हो, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन(रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:	विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो

14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा और/या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला या अन्य अभिकरण/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क	संविदा भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:— (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में ओवरसीयर ऑफ़सैट को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा: परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी । (ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.— नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, के समक्ष रखेगा । (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां:— संविदा के आधार पर नियुक्त ओवरसीयर ऑफ़सैट को 23,100 रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम, जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा संदत्त की जाएगी । (III) नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी :— नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा और /या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता

		परीक्षा या शारीरिक परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति .-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (VI) करार.- अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। (VII) निबन्धन एवं शर्तें:- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त ओवरसीयर ऑफसेट को 23,100 रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे-मैट्रिक्स के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा संदत्त की जाएगी। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 45 (पैंतालिस) दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
--	--	---

		अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा: परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख की छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर,
--	--	---

		जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
16.	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं
18.	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध "ख"

ओवरसीयर ऑफसैट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....
..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्
प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख.....
को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ओवरसीयर ऑफसैट के रूप में
संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार ओवरसीयर ऑफसैट के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम **23,100/-** रुपये प्रति मास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त पदधारी को एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगी। तथापि, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को जीवित दो बच्चों से कम संख्या होने पर 180 दिनों का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पद नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और संचित अवकाश अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:
- परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त पदाधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन (03) वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख की छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0 आर0 छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त

व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text to this Department Notification No. P.S.D-B/1/2023 dated 24-06-2024 as required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2024

File No.P.S.D-B/1/2023.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Overseer Offset, Group-B (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services**, in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department Overseer Offset, Group-B (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment & Promotion Rules, 2024. (2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
--	---

2. Repeal and savings.	(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Overseer Offset, Class-III (Non-Gazetted), (Non- Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified <i>vide</i> this department notification No. Mudran (B)2-5/99, dated 27-07-2010 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 28-07-2010 are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) <i>supra</i> shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.
-------------------------------	---

By order,

Secretary (P&S).

Annexure-A

**Recruitment and Promotion Rules for the post of Overseer Offset (Non-Gazetted), Group-B
in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh**

1. Name of the post:	Overseer Offset
2. Number of post(s):	01 (One)
3. Classification:	Group-B (Non-Ministerial Services)
4. Scale of Pay:	(i) Pay Band for regular incumbent(s): Level-11 of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. (ii) Emoluments for Contract employee(s): 60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Service (Revised Pay) Rules, 2022.
5. Whether “Selection” post or “Non-selection” post :	Non-Selection.

6. Age for direct recruitment:	Between 18 and 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on <i>ad hoc</i> or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on <i>ad hoc</i> basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such <i>ad hoc</i> or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies. Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):	(a) Essential qualifications: (i) 10+2 from a recognized Board of School Education or an institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.: Provided that the candidate must have passed matriculation and 10+2 from any School/ Institution situated within Himachal Pradesh:

	Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis. (ii) Diploma in the trade of Offset Printing Technology from a recognized I.T.I/ University or from an institution duly recognized by Central/ H.P. State Government. (iii) Three years practical experience in supervisory capacity in the Government/ Semi-Government Offset Printing Press/ recognized Private Offset Printing Press. (iv) Preference will be given to those candidates possessing degree in Offset Printing Technology from a recognized University or from an Institution duly recognized by the Central/ H.P. Government. (b) Desirable qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s) ?	<i>Age:</i> Not applicable <i>Educational Qualification:</i> Not applicable
9. Period of probation, if any:	Direct Recruitment/Promotion:— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis.
10. Method(s) of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.	100% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/ transfer, grades from which	By promotion from amongst the Offset Operators/ Camera Operators/ Litho Artists/ Photo Type Setter Operators who having five (05) years' regular service or

promotion/ deputation/ transfer is to be made.	regular combined with continuous <i>adhoc</i> service, if any, in the grade. “For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre wise <i>inter-se-seniority</i> shall be prescribed. (1) In all cases of promotion, the continuous <i>adhoc</i> service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the <i>adhoc</i> appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules: (i) Provided that in all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on <i>adhoc</i> basis), followed in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration : Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at east two years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be consideration for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-servicemen <i>who have joined Armed Forces during the period of emergency</i> and recruited under the
--	--

	provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himchal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services (Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation continuous <i>adhoc</i> service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the <i>adhoc</i> appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules: Provided that <i>inter-se-seniority</i> as a result of confirmation after taking into account <i>adhoc</i> service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion /Confirmation Committee exists, what is its composition?	Departmental Promotion/Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HPRCA is to be consulted in making recruitment:	As required under the law
14. Essential requirement for direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standards/syllabus etc. for which will be determined by the H.P. Public Service Commission, Shimla/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
15-A (Selection for appointment to the post by contract recruitment).	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:— (1) CONCEPT: (a) Under this policy the Overseer Offset in Printing and Stationery Department, H.P. will be engaged on

contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA:-

The Controller, Printing and Stationery Department, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The **Overseer Offset** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.23,100 [which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre].

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Controller, Printing and Stationery H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test. The standards/syllabus etc. will be determined by the H.P. Public Service Commission, Shimla/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Overseer Offset appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount @Rs.23,100/- per month which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the Pay Matrix of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the

	circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. (e) An official appointed on contract basis who has completed three (03) years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis, wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled

	Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination	Not applicable
18. Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C./ other recruiting agency relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Overseer Offset & the Government of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department H.P.

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt.....S/o/D/oShri.....R/o....., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Overseer Offset** on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Overseer Offset** for a period of 1 year commencing on day of..... and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on..... and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 23,100/-** per month.
3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contractual appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee Revisor shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointment on contract basis who have completed 03 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected official will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official.
9. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

2004

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जून, 2024 / 04 आषाढ़, 1946

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address).

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address).

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. _____

(Name and Full Address).

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Pooja Sharma d/o Sh. Jai Ram, r/o Village & P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Pooja Sharma d/o Sh. Jai Ram, r/o Village & P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Smt. Pooja Sharma का जन्म दिनांक 19-02-1991 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित

सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Pooja Sharma के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

वनिता देवी सुपुत्री रमेश चन्द, निवासी कुसंल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वनिता देवी सुपुत्री रमेश चन्द, निवासी कुसंल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 27-10-1983 को ग्राम पंचायत कुसंल में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-05-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0
08/T/2023

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती मीटरकान

तारीख दायर :
03-04-2023

तारीख पेशी:
28-05-2024

नरेश कुमार

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती मीटरकान प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, वासी महाल रामनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती मीटरकान मुसाबी इस्तेमाल बाबत खसरा नं0 935 वाक्या महाल रामनगर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, वासी रामनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि बन्दोवस्त में खसरा नं0 1007 वाक्या महाल रामनगर के करुकान सही थे परन्तु इस्तेमाल वर्ष 1991-92 में उपरोक्त खसरा नं0 935 के करुकान सही नहीं हैं। लिहाजा उपरोक्त खसरा नं0 के करुकान मुताबिक बन्दोवस्त दुरुस्त किये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को वजरिया इश्तेहार सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मीटरकान की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 27-06-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मीटरकान की दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 111 / 2023

तारीख मरजुआ : 06-10-2023

तारीख पेशी : 12-07-2024

श्री राजेश पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम आसरा, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री किशोरी लाल पुत्र श्री बसंत लाल उपनाम सत राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्री हंस राज पुत्र श्री बसंत लाल उपनाम संत राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्री सत राम पुत्र धनी राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्री विकास पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. कुमारी उषा पुत्री श्री हरी राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बुंघि राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती श्वेता पत्नी श्री केशव राम, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 411/481, खसरा नं0 342, मोहाल/मौजा छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री राजेश पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी मोहाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 नं0 411/481, खसरा नं0 342, मोहाल/मौजा छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है यह कि उक्त मामला बाबत तकसीम में प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इस इशतहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 12-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H. P.)

Sh. Zahir Mohammad s/o Sh. Sarif Maohammad, r/o Village Kummbra, P.O. Deot, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public Tehsil Chopal

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Zahir Mohammad s/o Sh. Sarif Maohammad, r/o Village Kummbra, P.O. Deot, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his/her son/daughter namely Mr. Danish whose date of birth is 01-01-2018 in the Gram Panchayat Sari Deot, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 25-06-2024 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 25-05-2024.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H. P.)

Sh. Daulat Ram s/o Late Sh. Budu, r/o Village Pujadi, P.O. Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public Tehsil Chopal

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Daulat Ram s/o Late Sh. Budu, r/o Village Pujadi, P.O. Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his Uncle namely Late Sh. Chatru whose date of death is 14-04-2014 in the Gram Panchayat Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 26-06-2024 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 25-05-2024.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate Theog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)

Smt. Reena d/o Shri Puran Chand, r/o Village Ghawahi, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Whereas, a case regarding entry of birth of Smt. Reena d/o Shri Puran Chand, r/o Village Ghawahi, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) has been received in this office from Additional Distt. Registrar (Birth & Death) his *vide* letter No. 4140 Dated 17-05-2024 for further necessary under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Reena has also submitted an application on dated 18-05-2024 in this office to enter the date of birth of her self in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Reena	Self	06-08-1982

Hence this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Sandhu, Tehsil Theog, may file their claims/ objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. e-Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-06-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Tehsil Theog, District Shimla (H. P.).*

In the Court of Executive Magistrate Theog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)

Master Girish s/o Shri Virender Kumar, r/o Village Pantha, P.O. Lafu Ghati, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Whereas, a case regarding entry of birth of Master Girish s/o Shri Virender Kumar, r/o Village Pantha, P.O. Lafu Ghati, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) has been received in this office from Additional Distt. Registrar (Birth & Death) with *vide* letter No. 3095 Dated 07-05-2024 for further necessary under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Asha has also submitted an application on dated 14-05-2024 in this office to enter the date of birth of her son name Master Girish in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Rauni Matiana, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Master Girish	Self	28-07-2011

Hence this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named present in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Sandhu, Tehsil Theog, may file their claims/ objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. e-Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-06-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Tehsil Theog, District Shimla (H. P.).*

**ब अदालत श्री राम प्रकाश, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री ब्रिजेश चौहान पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर लानाचेता, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ब्रिजेश चौहान पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर लानाचेता, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अपने पुत्र श्री सृजल चौहान के विद्यालय प्रमाण-पत्र में पिता के नाम की दुरुस्ती करवाने बारे आवेदन प्रस्तुत कर आग्रह किया है कि प्रार्थी के बेटे श्री सृजल चौहान के बाकी सभी दस्तावेजात में पिता का नाम सृजल चौहान पुत्र ब्रिजेश चौहान है जबकि दसवीं कक्षा के विद्यालय अंक तालिका में उसका नाम सृजल चौहान पुत्र श्री विजेश चौहान दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने बेटे श्री सृजल चौहान के दसवीं कक्षा की अंक तालिका में उसके सभी अन्य दस्तावेजात संलग्न के आधार पर सही नाम की दुरुस्ती करवाकर सृजल चौहान पुत्र श्री ब्रिजेश चौहान दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा एक माह के भीतर मिति 07-07-2024 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस अदालत में उपस्थित आकर अपना लिखित उजर व एतराज प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर वादी के आवेदन पर उनके बेटे श्री सृजल चौहान का सही नाम श्री सृजल चौहान पुत्र ब्रिजेश चौहान सी0बी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा दुरुस्त कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 07-06-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इशतहार अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।